दौरान जिले-वार कोयले की कितनी-कितनी मात्रा का आवंटन करने की योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात को केन्द्रीय पूल से किया गया कोयले का वार्षिक आवंटन कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई प्रति अभ्यावेदन दिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) कोयले की आवश्यकता का राज्य-वार या जिला-वार मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उनका समग्र देश के लिए उद्योग/क्षेत्र-वार मूल्यांकन किया जाता है। कोल इंडिया लि० सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रायोजकता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमों के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है। विद्युत तथा सीमेंट एककों को स्थाई संयोजित समिति द्वारा इन क्षेत्रों के लिए अल्पकालीन संयोजन के आधार पर आपूर्ति की जाती है।

गुजरात में कोल इंडिया लि० से कोयला उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में निरन्तर वृद्धि होती रही है जो कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :

(आंकड़े हजार टन में)

1990-91	14655
1991-92	15179
1992-93	15320

कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपूर्ति अधिक हो सकती थी, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा रेल कार्यक्रमों के रद्द/निलम्बन करने के कारण अधिक आपूर्ति नहीं की जा सकती।

कोयले/कोक के अतिरिक्त नियतन के लिए किसी भी अनुरोध पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर विचार/जांच की जाती है। वर्तमान में कोल इंडिया लि० गुजरात से लगभग समस्त अकोककर कोयला की मांग, साफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर, को पूरा करने की स्थिति में है।

कोयला खानों में प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी

1847. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से भूमिगत खानों में प्रति व्यक्ति कोयले का उत्पादन घट रहा है ; यदि हां, तो कम उत्पादकता के क्या कारण हैं ; और

(ख) कोयले के प्रति व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमिगत खानों में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। किन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना में भूमिगत खानों की उत्पादकता में वृद्धि पर बल दिये जाने के लिये इस क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया है।

भूमिगत कोयला खानों की उत्पादकता में सुधार लाये जाने के लिये कुछ निम्न उपाय किए गए हैं—श्रमशक्ति प्रबन्धन में सुधार, उच्च क्षमता वाले उपकरणों का प्रयोग, नई प्रोद्योगिकी की शुरुआत किया जाना, उपकरणों की उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार और भूमिगत खानों के क्रियाकलापों में सुधार लाया जाना।